कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1718029 दिनांक 25-08-2017

पत्र संख्या–आई0टी0–नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल/डीलर्स मार्किंग/2017–18/837/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊः: दिनांक:: 25 अगस्त, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट)
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम–2008 की धारा–28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था के कियान्वयन के कारण वर्ष 2015–16 के डीम्ड के वादों का चिन्हांकन वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये जाने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 2015–16 हेतु व्यापारियों की सूची समस्त कर निर्धारण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गयी है समस्त कर निर्धारण अधिकारी अपने अधिक्षेत्र से सम्बंधित व्यापारियों की टर्नओवर मार्किंग का कार्य प्रत्येक दशा में 30.09.2017तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें ।

वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक विवरणी फार्म–52, 52ए, 52बी दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथि 30.12.2016 थी । अतः ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है उनका अध्ययन करते हुए वर्ष 2015–16 हेतु वादों को डीम्ड की कैटेगरी में रखने अथवा उससे बाहर रखने का कार्य दिनांक 30.11.2017 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

जिन जोन/संभाग में यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं किया जायेगा उन जोन के एडीशनल कमिश्नर/संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उत्तरदायी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। यहॉ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह मार्किंग ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) तथा खंड/मंडल के डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी तीनों स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी है। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढायी जायेगी एवं जिस स्तर के अधिकारी द्वारा मार्किंग नहीं की जायेगी उसका उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

24/08/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।